पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 19/2020

लीलाराम पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 14/02/2020 द्वारा तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

दिनांक 27-1-2021

निर्णय

अपीलान्ट ने तहसीलदार कोटपूतली के आदेश दिनांक 14/02/2020 से व्यथित होकर जरिये वकील उक्त आदेश के विरूद्व अपील पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं:–

1. यह है कि आराजी हाल ख.नं. 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78 व 2371/1002/0.06 वाके ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली गोचर (चारागाह) भूमि है, जिसमें साबिक ख.नं. 1082 वाके मौजा पनियाला गोचर चारागाह भूमि है जो जमाबंदी सम्वत् 2027–2030 व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028–2031, 2032–2035 के अवलोकन से मात्र से जाहिर है जो पशु वगैरह चारागाह के लिए राज्य सरकार द्वारा छोडी गयी भूमि है। उक्त भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अथवा गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है परन्तु ग्राम पनियाला ने मातादीन ग्यारसा पुत्रान् बहादुर जाति गुर्जर निवासी ग्राम पनियाला द्वारा गैर कानूनी रूप से उपराक्त भूमि को स्वयं को नियमन होना जाहिर करते हुए स्वयं के नाम गैर खातेदारी करवाली , जिसकी जानकारी पर प्रार्थी ने दिनांक 13/3/2018 को तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त तहसीलदार कोटपूतली ने उपरोक्त प्रकरण में रेफरेन्स प्रस्तुत करने की बजाये यह कहते हुए कि इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं है। सक्षम न्यायालय में अनुतोष चाहने हेतु चाराजोही करें तथा प्रकरण का निस्तारण करें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by Scanner Go

2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात से ब खुदी यह जाहिर है कि उपरोक्त चारागाह भूमि है तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को चारागाह भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। यदि किसी व्यक्ति को चारागाह भूमि में खातेदारी दर्ज की जात है उस हेतु धारा 82 एल.आर एक्ट के तहत् तहसीलदार को रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाना चाहिए परन्तु तहसीलदार कोटपूतली ने रेफरेन्स प्रस्तुत करने की बजाये प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का हवाला देते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जो विधि विरूद्व है।

4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 14/02/2020 की जानकारी होने पर प्रार्थी ने नकल आवेदन करने पर निर्णय की नकल दिनांक 09/6/2020 को नकल दी गयी, जिस पर बिना देरी किये अपील श्रीमान् के समक्ष पेश की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जावे कि आराजी हाल ख.नं. 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78, 2371/1002/0.06 वाके ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली की भूमि बाबत रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 एल.आर एक्ट में प्रस्तुत किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील होने पर संलग्न पत्रावली किया गया।

6. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के मिमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पनियाला की भूमि हाल खसरा नम्बर 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78, 2371/1002/0.06 वाके ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली गोचर चारागाह भूमि है, जिसके साबिक खसरा नम्बर 1082 वाके मौजा पनियाला गोचर चारागाह भूमि है, जो जमाबंदी सम्वत 2027–2030 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–2031 व 2032–2035 के अवलोकन से जाहिर है। ग्राम पनियाला की चराही के लिए राज्य सरकार द्वारा छोडी हुयी भूमि है उसमें किसी भी व्यक्ति को गैर खातेदारी व खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, परन्तु ग्राम पनियाला के मातादीन ग्यारसा पुत्रान् बहादुर जाति गुर्जर द्वारा गैर कानूनी तरिके से उक्त भूमि का नियमन जाहिर करते हुय गैर खातेदारी दर्ज कराली, जिनकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया तहसीलदार कोटपूतली ने अपने निर्णय 14/02/2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि किसी खातेदारी भूमि को निरस्त करने की कार्यवाही इस

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by Scanner Go

न्यायालय (न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली) के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रार्थी उक्त कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त कर सकते है, जबकि तहसीलदार को प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निस्तारण करते समय रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर एक्ट के तहत् सक्षम न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से रेफरेन्स पेश करने के आदेश पारित करने चाहिए थे यदि किसी व्यक्ति के नाम चारागाह भूमि में खातेदारी दर्ज की जाती है। इस बाबत तहसीलदार को रेफरेन्स करने का अधिकार है। क्योंकि राज काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को चारागाह भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते इसलिए चारागाह भूमि में गैर खातेदार/खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उनके विरूद्व एल.आर एक्ट 1956 धारा 82 के तहत् रेफरेन्स बनाये जाने के आदेश तहसीलदार कोटपूतली को प्रदान करें।

7. पैरोकार सरकार तहसीलदार द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि खातेदारी अधिकार निरस्त करने का न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली को अधिकार नहीं है। गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को सरकारी भूमि में गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तो उसके विरूद्व तहसीलदार द्वारा सरकार की ओर से जिस आदेश से अधिकार प्राप्त हुए उस आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता है तथा रेफरेन्स पेश कर सकता है ।

8. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के अवलोकन एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस मर मनन किया गया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत आराजी ख.नं. 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78, 2371/1002/0.06 हैक्टर वाके ग्राम पनियाला जिसके साबिक ख.नं. 1082 वाके ग्राम पनियाला गोचर भूमि का गलत रूप से गैर खातेदारी दर्ज करने का पेश किया जिस पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 14/02/2020 को अपने निर्णय में वर्णित किया कि साबिक ख.नं. 1082 वाके मौजा पनियाला में से नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 22/10/71 के द्वारा गैर खातेदारी प्रदान की है, जिसका उल्लेख खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–31 में भी किया गया है। इसके बाद भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख.नं. 1082 के हाल ख.नं. 993/1.50, 998/0.37, 1002/0.78, 2371/1002/0.06 किता 4 रकबा 2.71 हैक्टर मातादीन ग्यारसा पिता बहादुर जाति रावत सा. देह के नाम गैर खातेदारी मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2037–56 में अंकन किया है। वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी उपरोक्त खातेदारान् के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। तहसीलदार को सक्षम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र यह कहा जाकर निस्तारण कर दिया कि किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को निरस्त करने का अधिकार (न्यायालय तहसीलदार) के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रार्थी उक्त कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त कर सकता है, जबकि तहसीलदार को अधिकार

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by Scanner Go

प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से सरकारी भूमि की खातेदारी प्राप्त होती है तो सरकार की ओर से स्वयं सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत कर खातेदारी निरस्त कराने की कार्यवाही कर सकता है। प्रकरण में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होना वर्णित कर दिया किन्तु तहसीलदार द्वारा स्वयं ने उक्त आराजीयात् बाबत रेफरेन्स प्रस्तुत करने की कार्यवाही नहीं की गयी ।

चूँकि साबिक ख.नं. 1082 वाके मौजा परियाला में से नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 22/10/71 के द्वारा गैर खातेदारी दर्ज हुयी है, जिस आदेश से गैर कानूनी रूप से गैर खातेदारी दर्ज हुयी है। उस आदेश को तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी यानि जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन/नियमन हुयी है। आवंटन नियम 14(4) के निरस्तीकरण की कार्यवाही बाबत प्रार्थना–पत्र तहसीलदार को सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिए था या फिर नामान्तरकरण संख्या 176 दिनांक 22/10/71 वाके मौजा पनियाला अपील करनी चाहिए थी किन्तु तहसीलदार द्वारा प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने का अंकन करने के बाद भी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रकरण में ना तो नामान्तरकरण की अपील सक्षम न्यायालय में पेश की है, ना ही आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत् आवंटन/नियमन निरस्तीकरण का प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा ना ही रेफरेन्स प्रकरण एल.आर एक्ट धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का परिक्षण एवं जांच कर उनके अधिकार सुरक्षित रखते हुये एक माह के अन्दर नामान्तरकरण की अपील, आवंटन/नियमन निरस्तीकरण प्रार्थना–पत्र 14(4) एवं रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट के तहत् गैर कानूनी रूप से मिली खातेदारी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में पेश करें। तहसीलदार कोटपूतली को निर्णय की प्रति तहरीर के साथ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

9. निर्णय आज दिनांक 27-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by Scanner Go